अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

255/2019/225 शान्तिदेवी V/S निवेद (नाबालिग) संरक्षक माता इन्द्रादेवी वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री दीपक पारीक, एड० अपील० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
31/7/19	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक की प्रार्थना पत्र व अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 ने एक वाद अप्रार्थी/अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04से 07 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 288 के खसरा नम्बर 937, 938, 939 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6500 हैo एवं खतौनी संख्या 289 के आराजी खसरा नम्बर 986 से 992 कुल किता 7 कुल रकबा 1.1500 हैo वाकै ग्राम देवला तहसील मौजमाबाद में स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01से 5 के नाम दर्ज चली आ रही हैं जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण की ओर से उनकी माता इन्द्रा देवी तन्हा काबिज काश्त है। मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 नौकरी करता है और अपने वृद्ध पिता के साथ शराब का सेवन करता है एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 गॉव में निवास नहीं करती। जिन्होने कैम्प में गलत रूप से नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थीगण गलत आचरण से आराजी की ओर से उनकी माता इन्द्रा देवी ही काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी पूर्व में नानू राम के नाम गलत दर्ज थी। जिसकी डिक्री भी न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण के दादा के नाम से हो गई थी। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने आराजी को विक्रय करने की ठान ली है तथा मौके पर अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आते है और ऐलानिया धमकी देते है कि आराजी को विक्रय करके ही दम लेगें तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित मद संख्या 03 की आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी न स्वंय करें, ना अन्य किसी नौकर चाकर ऐजेन्ट आदि से करावे तथा ना किसी प्रकार का हस्तातंरण करें एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें व विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किया जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2016 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया कि अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत किए जाने तक वादग्रस्त आरजीयात को रहन, बेचान नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 19.08.2015 की पालना में नामान्तकरण संख्या 580 दिनांक 17.06.2016 तस्दीक किया जाकर रूपनारायण पुत्र प्रताप हिस्सा 1/2 के बजाय रूपनारायण पुत्र प्रताप हिस्सा 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे.शाखा, दूदू मुर्तहीन नानूराम पुत्र प्रताप हिस्सा 1/4 साकिन देह का अंकन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 581 दिनांक 27.06.2016 विरासत से नानूराम पुत्र प्रताप हिस्सा 1/4 के बजाय शांतिदेवी, गुल्ली देवी, मुन्नी देवी पुत्रियॉ नानूराम हिस्सा 1/4 स्वीकार किया गया। जिसका अंकन जमाबंदी पर अंकित है। उक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए विपक्षी द्वारा न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 22.07.2016 को अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जो विधि सम्मत नही है। अपीलांटस विवादित आराजी के के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानून रूप से स्थगन आदेश जारी कर दिये है, जो निरस्त योग्य है। आदेश 39 नियम 2 जा.दी. के प्रावधानों के तहत् एक तरफा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा केवल एक माह के लिए प्रदान की जा सकती है तथा एक माह पश्चात अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा स्पष्ट कारण अंकित किये जाने होगें लेकिन आक्षेपित आदेश में	निरन्तर--

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

255/2019/225 शान्तिदेवी V/s विवेक (नाबालिग) संरक्षक माता इन्द्रादेवी वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री दीपक पारीक, ए०अ० उपस्थित श्री	

निरन्तर.....

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 2 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक तरफा में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जवाब प्रस्तुत की जाने तक पारित कर दी, जो अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण आदेश है ऐसे अविधिक आदेश को चुनौती देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए अपील प्रस्तुती में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षमा की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतःन्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू का आदेश दिनांक 22.07.2016 को निरस्त फरमावें अथवा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना को ताफैसला अपील स्थगित की जावे।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2016 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया कि अप्रार्थीगण जवाब प्रस्तुत किए जाने तक वादग्रस्त आरजीयात को रहन, बेचान नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। अपीलांट जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 05 है ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करके उक्त आदेश की सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट को उक्त आदेश से आपत्ति थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रकट करते किन्तु अपीलांट ने उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत की है जो मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 2 जा.दी. से कानून का उल्लघंन हो रहा है इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निस्तारण इस आदेश की प्राप्ती से 30 दिवस में करें।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर तीनो महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय एक माह में पारित करे, निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर